संख्या-119 /2019/4037 /30-3-19-6बी/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक 14 अक्टूबर, 2019

विषय:- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 14-08-2019 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1377स0सु0/2019-84स0सु0/2004, दिनॉक 18-09-2019 एवं पत्र संख्या-1479स0सु0/2019-84स0सु0/2004, दिनॉक 01-10-2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 14-08-2019 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1509.59 लाख के सापेक्ष कोष प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू० 371.22.00 लाख (रू० तीन करोड़ इकहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	प्रस्तावित मद	अनुमानित व्यय (रू0 लाख में)
1	2	3
1.	सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु माध्यमिक कक्षा में आयोजित भाषण प्रतियोगिता हेतु।	100.00
2.	प्रत्येक त्रैमास में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने हेतु व्यय हेतु	94.00
3.	कार्यालय एवं अन्य विविध व्यय-कार्यालय व्यय/वाहनों के ईंधन/रख-रखाव/रोड सेफ्टी वेबसाइट, स्टेशनरी तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के व्यय एवं अन्य व्यय हेतु।	40.00
4.	गुड सेमेरिटन हेतु प्रोत्साहन राशि हेतु।	3.42
5.	प्रदेश में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में सड़क सुरक्षा विषय पर भाषण प्रतियोगिता कराये जाने के सम्बन्ध में।	100.00
6.	नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.09.2018 में दी गयी प्रक्रिया एवं गाइडलाइन के अनुसार आरएफपी डिजाइन/बिड मैनेजमेंट कंसल्टेंट (मिड लेवल	19.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कंसल्टेंट) एवं मीडिया कंसल्टेंट (जूनियर लेवल कंसल्टेंट) को चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।	
7.	सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में।	14.60
	योग -	371.22

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजस्व मद के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 119 /2019/4037 (1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in